

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :-

09/2017

उनवान प्रकरण

धर्मवीर पुत्र झम्मन जाति कुशवाह निवासी ग्राम दुर्गापुरा उप तहसील मंनिया तहसील व  
जिला धौलपुर .....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर

.....रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28.11.2016

नायब तहसीलदार मंनिया उनवानी सरकार बनाम धर्मवीर  
मुकद्दमा नम्बर 45/2016 धारा 91 एल0आर0एक्ट



उपस्थिति अभिभाषक :-

अपीलान्त की ओर से  
रेस्पोजेण्ट की ओर से

:- श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट  
:- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 21.02.2018

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का टांडा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को खसरा नम्बर 189 रकवा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्थित ग्राम दुर्गापुरा तहसील धौलपुर में से 02 विस्वा भूमि पर दासाबन्दी कर मिटटी डालकर सम्बत 2073 में अतिक्रमण किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने एवं 15 दिवस का सिविल कारावास तथा लगान का 50 गुना 20/-रु0 शास्ति आरोपित करते हुये आदेश पारित किया है, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि गैर मुमकिन रास्ता भूमि की परिभाषा में नहीं आता है, ग्राम पंचायत के अधीन होता है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में दिनांक अंकित नहीं है न पृष्ठ पर नक्शा बनाया गया है कि अपीलान्त द्वारा किस भूमि पर कहाँ पर अतिक्रमण किया है न अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण में दासा व मिटटी की माप तौल बतायी है। रिपोर्ट पटवारी हल्का महत्वहीन है अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनने का

५  
अति० जिला कलक्टर  
धौलपुर

(2)

न्यायाधीश जिला कलक्टर  
अपील संख्या 09/2017

क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्त पर विधिवत नहीं हुई है, तामील की दिनांक, समय, पहचानकर्ता गवाहों के नाम व पता अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया है, समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की गयी है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया है एवं पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में वेदखली आदेश की प्रति एवं दैनिक डायरी की प्रति प्रस्तुत नहीं की है और न पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित होता हो कि पूर्व में बेदखल किया जा चुका है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलान्त ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न वर्तमान में कोई अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अपीलान्त को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 19.4.2017 को पुलिस थाना मंनिया द्वारा गिरफ्तार करने पर हुआ उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 21.4.2017 को उप तहसील मंनिया में जमानत पर छोड़ा गया उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु विधानसभा चुनाव धौलपुर में होने के कारण राजस्व कर्मचारियों की झूटी होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली दिनांक 18.4.2017 को नकल प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुयी। अतः जानकारी से अन्दर म्याद अपील पेश है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नोटिस धारा 91 की तामील विधि सम्मत नहीं है, तामील की दिनांक, समय, पहचानकर्ताओं के नाम व पता अंकित नहीं है, तामील कुलिन्दा का शपथ पत्र नहीं है। अपीलान्त की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। रास्ता भूमि की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार नायव तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का मौका नहीं दिया है प्रथम पेशी पर ही पटवारी हल्का का बयान लिया गया पूर्व में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का न तो कोई आदेश पेश किया गया और न ही कोई घटना रिकॉर्ड पर है एवं उसी दिन बिना कोई सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर भी खरा नहीं उतरता है। सिविल कारावास पारित करने से पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी के लिए बेदखल का आदेश पत्रावली पर होना आवश्यक है बिना बेदखली के आदेश के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दण्डित किया जाना विधि संगत नहीं है। अवैध आदेश की चुनौती के लिए कोई सीमा का बंधन नहीं होता है। अपीलान्त के द्वारा अतिक्रमण को हटा लिया गया है, फोटो मौके का पेश किया है शपथपत्र अपीलान्त के द्वारा नायव तहसीलदार मंनिया के यहाँ पेश कर दिया है। अतः सजा के बिन्दु पर नरम रुख

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
धौलपुर

(3)

न्यायाति.जिला कलक्टर  
अपील संख्या 09/2017

अपना कर माफ किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्त गरीब किसान व मजदूर व्यक्ति है। सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी यह मत कई बार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में आर आर डी 2005 पेज 701, आर आर डी 1996 पेज 481, आर आर डी 1996 पेज 585, आर बी जे 1996 पेज 360, आर बी जे 1996 पेज 410, आर आर डी 1992 पेज 239 एवं आर आर डी 1996 पेज 585 के न्यायिक नज़ीरें पेश कर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

रेस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्त धर्मवीर पर स्वयं विधिवत हुई है। अतिक्रमी वावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त द्वारा विवादित राजकीय भूमि पर सम्बत 2073 में दासाबन्दी कर मिटटी डालकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्त ने सम्बत 2072 में भी दासाबन्दी कर मिटटी डालकर अतिक्रमण किया था तथा उसे बेदखल किया गया था। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्त बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्त का मुख्य रूप से यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्त पर विधिवत नहीं हुई। गैर मुमकिन रास्ता भूमि की परिभाषा में नहीं आता है और अपीलान्त ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर अपीलान्त धर्मवीर पर स्वयं तामील हुई है। नोटिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है जो तामील कुनिन्दा द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वाद तामील पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलान्त का यह कथन सत्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्त पर विधिवत नहीं हुई। इससे यह जाहिर होता है कि अपीलान्त को इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी रही है। अपीलान्त के द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध न तो कोई जबाव पेश किया और न ही अतिक्रमण से इन्कार किया है। अपीलान्त का यह कथन मान भी लिया जावे कि उसके द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं किया है, तो उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित दिनांक को अपना जबाव व पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था लेकिन उसके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हो। इस प्रकार अपीलान्त का यह कथन सत्य नहीं है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्त ने विवादित राजकीय आराजी खसरा नम्बर 189 रकवा 19 विस्वा स्थित ग्राम दुर्गपुरा तहसील धौलपुर में से 02 विस्वा भूमि पर दासाबन्दी कर मिटटी डालकर सम्बत 2073 में कब्जा किया है उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। अपीलान्त ने रास्ते की भूमि पर कब्जा किया हुआ है जिस पर धारा 91 के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।

न्यायाति.जिला कलक्टर  
धौलपुर

(4)

न्या०अति.जिला कलक्टर  
अपील संख्या 09/2017

इस प्रकार की भूमि आर०टी०एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित है। इस प्रकार की भूमियों का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान तथा अन्य दस्तावेजों से स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी सम्बत 2072 में उक्त विवादित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे मौके से बेदखल किया गया था। पुनः अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपीलान्त बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया उसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ नायब तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( हरफूल सिंह यादव )  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
धुळे (राज०)